

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक 8(32)राज/वाद/08पार्ट-4

जयपुर दिनांक 24.4.18

:: आदेशः

निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं० 4 में वर्णित कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री सुल्तान सिंह, च० श्रे० कर्मचारी	अपर लोक अभियोजक, बानसूर जिला अलवर	अपर लोक अभियोजक, सं०-1, अलवर	श्री मुकेश कुमार वैरवा के स्थान पर
2	श्री मुकेश कुमार वैरवा, च० श्रे० कर्मचारी	अपर लोक अभियोजक, सं०-1, अलवर	अपर लोक अभियोजक, बानसूर जिला अलवर	श्री सुल्तान सिंह के स्थान पर

नोट:- उक्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण स्वयं के प्रार्थना पत्र पर किये जाने पर इन्हें यात्राभत्ता एवं योगकाल देय नहीं है।

आज्ञा से,

हृ०

(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
2. संबंधित जिला कलक्टर-----।
3. संबंधित कार्यालय-----।
4. संबंधित कोषाधिकारी-----।
5. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग।
6. संबंधित कर्मचारी-----।
7. रक्षित पत्रावली।

8. जोगमर विधि विभाग के वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

24.4.18

(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि